जी 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

समसुद्दीन मियाँ .... प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम सरफुद्दीन अंसारी .... द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या .... 45/22 .... सन् 2021

धारा 144 **द०प्र०स०**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक ~~[illegible]~~ समसुद्दीन मियाँ पिता उसमान मियाँ साकिन शाखाबारा थाना बिरनी, जिला गिरिडीह द्वारा द० प्र० स० कि धारा – 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – शाखाबारा थाना बिरनी के अन्तर्गत खाता नं0 – 12 प्लॉट नं0 – 769 रकवा – 1 ए0 52 डी0 मध्ये 67.5 डीव [illegible] मैं भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी थाना प्रभारी सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक .... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित 9/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर – सरिया 9/3 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर – सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना ~~प्रभारी~~/अंचल अधिकारी ....के ज्ञापांक सं0..५९३. दिनांक ...25.03.22.......के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 7/4/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07/04/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। Wait for SR. To 21/04/22 [signature] 7/4.	
21/04/22	प्रथम पक्ष वकालतन उपस्थित। द्वितीय पक्ष से सरफुद्दीन उपस्थित। To 5/5/22 [signature] 21/4.	
5/5/22	प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष से सरफुद्दीन उपस्थित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में व्यस्त। To 6/5/22 for order [signature] 5/5	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6/5/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर थानाप्रभारी बिरनी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- शारवाबारा, थाना- बिरनी में स्थित खाता-12 प्लाट-769, रकबा-1.52 ए. मध्ये 67.5 डी. जमीन प्रथम पक्ष की खरीदगी है। वर्तमान में उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कुआँ का निर्माण किया जा रहा है। अतः उन्हें प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोका जाये। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं ऑनलाइन लगान रसीद की प्रति जो उसमान मियाँ के नाम से निर्गत है, दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नगत भूमि	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रथम पक्ष के पिता के द्वारा वर्ष 1964 में ही बिक्री कर दिया गया था लगभग 55 वर्षों के पश्चात बिक्री किये गये जमीन पर दावा किया जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथम पक्ष के पिता उस्मान मियाँ के द्वारा केवाला सं0-7442, दिनांक-20/01/1964 को मीरवन मियाँ को बिक्री कर दिया गया था। केवाला सं0-5145 दिनांक-17/05/2001 द्वारा इरशान मियाँ वल्द [illegible] मियाँ द्वारा मो0 शरफुद्दीन वल्द मीरवन मियाँ को बिक्री कर दिया गया। इस प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा निराधार पुश्तागत भूमि पर दावा किया जा रहा है तथा द्वितीय पक्ष को तंग किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र सं-7442 की छाया प्रति विक्रय पत्र सं0-5145 की	

(6)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	छाया प्रति, ऑन लाईन लगान रसीद/प्रति लगान रसीद सं०-163365 की छाया प्रति जो उनावली मियां वगै०, एवं मोरवन मियाँ के नाम से निर्गत है, ऑन लाईन लगान रसीद, जो मो० शरफुद्दीन के नाम से निर्गत है की प्रति दाखिल किया गया है। थाना प्रभारी बिरनी का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष के सरफुद्दीन अंसारी द्वारा कुआँ बनवाया जा रहा है। उक्त जमीन द्वितीय पक्ष के कब्जे में है जिसे प्रथम पक्ष के पूर्वजों के द्वारा बिक्री कर दिया गया था। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत भूमि का बिक्री कर दिया गया था, अतः [illegible] तिथि में जबरन दावा करना उचित नहीं है। अतः [illegible] को प्रथम पक्ष के [illegible] निरपेक्ष एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। [signature] SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.06.09 16:49:56 +05:30
Location: 192.168.43.238